रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/92

REGISTERED NO. DL-33001/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 11, 1992/चैत्र 22, 1914

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 11, 1992/CHAITRA 22, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1992

सा. का. नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय (श्रेणी—III और IV) पद भर्ती नियम, 1972 को, जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय (निम्न श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होगा जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट है।

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering promotion. 1. Chairman/Member, U.P.S.C.—Chairman 2. Development Commissioner—Member (Handicrafts) 3. Joint Development Commissioner (Handicrafts) dealing with the subject.—Member 4. Joint Development Commissioner (Handicrafts) dealing with Administration Group 'A' posts.—Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. 6/9/90-Admn. I]

CHITKALA ZUTSHI, Addl. Development Commissioner (Handicrafts)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1992

सा.का.नि 169.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. कार्यक्रम कार्यपालक इसमें निम्नानुसार पदाभिहित पद सम्मिलित हैं :— 1. कार्यक्रम कार्यपालक 2. अनुवादक 3. संपादक (आलेख) 4. संपादक 5. प्रस्तुतकर्ता 6. प्रस्तुतकर्ता श्रेणी II 7. निर्देश अधिकारी	1916* (1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	चयन	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : क. (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ए. या एम.एस.सी. डिग्री या समतुल्य। (2) साहित्यिक या नाट्योन्मुख या वाद विवाद संबंधी क्रियाकलापों का या प्रकाशनों या लोकप्रिय विज्ञान का अभिलेख या ख. (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो कार्यक्रम कार्यपालक (संगीत) के पद के लिए आवेदन देते हैं, न्यूनतम अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य होगी। (2) नाटक के क्षेत्र में राष्ट्रीय नाटकशाला या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संगीत में डिप्लोमा; या आकाशवाणी द्वारा गायक या वादक के रूप में प्रमाणन के लिए न्यूनतम "बी" उच्च श्रेणीकरण; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा; या किसी प्रसारण संगठन में प्रस्तुतीकरण और/या कार्यक्रम तैयार करने में कम से कम 5 वर्ष का निरन्तर नियोजन; या लोक या जनजातीय संगीत पर अनुसंधान प्रकाशन; या सुगम संगीत की रचना करने में प्रवीणता तथा यह साक्ष्य कि ऐसा संगीत फिल्म या प्रसारण संगठन या ग्रामोफोन कंपनी द्वारा स्वीकार किया गया है। टिप्पण : (1) जनजातीय उपभाषा की बाबत यदि विहित अर्हताओं वाले पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं हैं तो स्नातक या समतुल्य अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी। टिप्पण : (2) निश्चित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं भर्ती के समय आवश्यकतानुसार विनिर्दिष्ट की जाएंगी। टिप्पण : (3) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण : (4) अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं, किन्तु उसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा अवश्य होना चाहिए। टिप्पण : उपरोक्त शैक्षिक अर्हताएं पोषक श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों को लागू नहीं होंगी जो 8 मई, 1991 को या उससे पूर्व नियमित आधार पर वही पद धारण किए हुए हैं, परन्तु वे कम से कम मैट्रिकुलेट या समतुल्य हों।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा।
11	12
(1) 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (2) 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : (1) 1640–2900 रु. के वेतनमान में ऐसे सहायक संपादक आलेख), सहायक संपादक (फार्म और गृह) सहायक संपादक (शैक्षिक प्रसारण), सहायक संपादक (विद्यालय प्रसारण सहायक संपादक (परिवार कल्याण) और आलेखक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और (2) ऐसे प्रसार कार्यपालक, जसके अन्तर्गत 1400–2600 रु. के वेतनमान में प्रसार कार्यपालक के रूप में पदाभिहित पूर्व विभागीय कलाकारों के ऐसे प्रवर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी श्रेणी/पद विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।
13	14
प्रोन्नति और पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना : (1) ज्येष्ठतम उप महानिदेशक, आकाशवाणी—अध्यक्ष। (2) उप महानिदेशक (प्रशासन)/निदेशक (ए. एंड एफ.) आकाशवाणी—सदस्य। (3) उप महानिदेशक, दूरदर्शन—सदस्य। (4) निदेशक (आकाशवाणी)/उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय—सदस्य। टिप्पण : सीधे भर्ती किए गए व्यक्ति की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	इस पद पर सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 12019/7/89 बी (ए)]

कश्मीरी लाल, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, 1962 (असाधारण), भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. स. 349 तारीख 17 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात उनमें निम्नलिखित संशोधन अधिसूचित किए गए थे :—

1. अधिसूचना संख्या 5(9)/58 बी (ए), दिनांक 4-5-62, सा.का.नि. 721, दिनांक 26-5-62
2. अधिसूचना संख्या 11(6)/72 बी (ए), दिनांक 18-10-62, सा.का.नि. संख्या 1412, दिनांक 27-10-62
3. अधिसूचना संख्या 5(89)/58 बी (ए), दिनांक 20-11-62, सा.का.नि.सं. 1627, दिनांक 1-12-62
4. अधिसूचना संख्या 9, 7/62 बी (ए), दिनांक 8-1-63, सा.का.नि. संख्या 123, दिनांक 8-1-63
5. अधिसूचना संख्या 13/55/61 बी (ए), दिनांक 8-3-63, सा.का.नि. संख्या 1225, दिनांक 20-7-63
6. अधिसूचना संख्या 5/43/62 बी (ए), दिनांक 10-8-63, सा.का.नि. संख्या 1319, दिनांक 10-8-63
7. अधिसूचना संख्या 11/2/61 बी (ए), दिनांक 31-8-64, सा.का.नि. संख्या 1310, दिनांक 12-9-64
8. अधिसूचना संख्या 11/3/63 बी (ए), दिनांक 15-10-64, सा.का.नि. संख्या 1564, दिनांक 31-10-64
9. अधिसूचना संख्या 11/6/64 बी (ए), दिनांक 28-4-65, सा.का.नि. संख्या 705, दिनांक 8-5-65

10. अधिसूचना संख्या 5/45/65 बी (ए), दिनांक नवम्बर, 1965
11. अधिसूचना संख्या 11/4/65 बी (ए), दिनांक 31-12-65, सा.का.नि. संख्या 08, दिनांक 8-1-66
12. अधिसूचना संख्या 11/3/65 बी (ए), दिनांक 1-11-66, सा.का.नि. संख्या 1782, दिनांक 26-11-66
13. अधिसूचना संख्या 11/4/65 बी (ए), दिनांक 24-12-66, सा.का.नि. संख्या 1973, दिनांक 29-67-66
14. अधिसूचना संख्या 7/1/67 बी (ए), दिनांक दिसम्बर, 1967
15. अधिसूचना संख्या 20/6/67 बी (ए), दिनांक 23-3-68, सा.का.नि. संख्या 541, दिनांक 23-3-68
16. अधिसूचना संख्या 7/1/67 बी (ए), दिनांक 30-4-68, सा.का.नि. संख्या 910, दिनांक 30-4-68
17. अधिसूचना संख्या 20/6/67 बी (ए), दिनांक 17-7-69 सा.का.नि. संख्या 176, तथा 1821
18. अधिसूचना संख्या 7/12/68 बी (ए), दिनांक 19-7-69 सा.का.नि. संख्या 1682
19. अधिसूचना संख्या 17/9/68 बी (ए) दिनांक 6-1-70 सा.का.नि. संख्या 173, दिनांक 31-1-70
20. अधिसूचना संख्या 17/7/69 बी (ए), दिनांक 21-1-70, सा.का.नि. संख्या 204, दिनांक 7-2-70
21. अधिसूचना संख्या 17/8/69 बी (ए), दिनांक 2-4-70, सा.का.नि. संख्या 723, दिनांक 2-5-70
22. अधिसूचना संख्या 7/2/68 बी (ए), दिनांक 24-4-70, सा.का.नि. संख्या 1661, दिनांक 15-8-70
23. अधिसूचना संख्या 1/4/70 बी (ए), दिनांक 25-8-70
24. अधिसूचना संख्या 11/9/69 बी (ए), दिनांक 21-2-72, सा.का.नि. संख्या 367, दिनांक 2-3-72
25. अधिसूचना संख्या 1/9/78 बी (ए), दिनांक 8-7-72
26. अधिसूचना संख्या 1/7/71 बी (ए), दिनांक 13-2-73, सा.का.नि. संख्या 228, दिनांक 3-4-73
27. अधिसूचना संख्या 1/9/72-बी (ए) दिनांक 10-4-73, सा.का.नि. संख्या 476, दिनांक 5-5-73
28. अधिसूचना संख्या 1/5/73 बी (ए), दिनांक 16-2-74, सा.का.नि. संख्या 256, दिनांक 9-3-74
29. अधिसूचना संख्या 1/12/73 बी (ए) दिनांक 4-4-75
30. अधिसूचना संख्या 1/12/73 बी (ए), दिनांक 24-6-75, सा.का.नि. संख्या 894, दिनांक 19-7-75
31. अधिसूचना संख्या 17/9/69 बी (ए), दिनांक 11-6-75, सा.का.नि. संख्या 801, दिनांक 28-6-75
32. अधिसूचना संख्या 1/15/75 बी (ए), दिनांक 15-4-76, सा.का.नि. संख्या 677, दिनांक 15-5-76
33. अधिसूचना संख्या 1/12/73-बी (ए), दिनांक 4-11-76, सा.का.नि. संख्या 1671, दिनांक 27-11-76
34. अधिसूचना संख्या 12019/9/78 बी (ए), दिनांक 26-12-78, सा.का.नि. संख्या 95, दिनांक 20-1-79
35. अधिसूचना संख्या 12018/4/77 बी (ए), दिनांक 4-9-70, सा.का.नि. संख्या 1118, दिनांक 25-10-80
36. अधिसूचना संख्या 12019/9/78 बी (ए), दिनांक 26-12-80 सा.का.नि. संख्या 44, दिनांक 10-1-81
37. अधिसूचना संख्या 12019/1/80 बी (ए), दिनांक 20-10-81, सा.का.नि. संख्या 1002, दिनांक 7-11-81
38. अधिसूचना संख्या 12018/4/77-बी (ए), दिनांक 15-1-82, सा.का.नि. संख्या 137, दिनांक 6-2-82
39. अधिसूचना संख्या 45011/83/82 बी (ए), दिनांक 23-10-84, सा.का.नि. संख्या 740 (ई आई.)
40. अधिसूचना संख्या 12019/6/83-बी (ए) दिनांक 28-6-65
41. अधिसूचना संख्या 45011/83/82 बी (ए) खंड 4(2), दिनांक 8-5-87
42. अधिसूचना संख्या 1/19/86 एस 2/आकाशवाणी बी (ए), दिनांक 25-10-87
43. अधिसूचना संख्या 8/45/87 एस. 2/आकाशवाणी बी (ए), दिनांक 4-4-88
44. अधिसूचना संख्या 7/6/87 आकाशवाणी बी (ए), दिनांक 12-4-88
45. अधिसूचना संख्या 14/18/86-एस 2/बी (ए), दिनांक 25-4-88
46. अधिसूचना संख्या 12019/2/87 बी (ए) दिनांक 25-5-88
47. अधिसूचना संख्या 7/5/87 आकाशवाणी/बी (ए), दिनांक 13-6-88
48. अधिसूचना संख्या 8/48/87 एस 2/एस 1 (श्री)/बी (ए) दिनांक 31-5-90
49. अधिसूचना संख्या 12019/89 बी (ए), दिनांक 15-10-90

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th March, 1992

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Costitution, the President hereby makes the following rules, further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962, for serial number 1 and entries relating thereto the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether Benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Programme Executive **This includes post designated as — 1. Programme Executive 2. Translator 3. Editor (Scripts) 4. Editor 5. Producer 6. Producer Grade-II 7. Reference Officer	1916* (1992) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500	Selection	No

Age limit for direct recruits	Educationa and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits apply in the case of promotees
7	8	9
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential : (i) M.A. or M.Sc. degree of a recognised University or equivalent (ii) A record of literary or dip-dramatic or debating activities or publications of popular sci nce. Or B. (i) Degree of recognised University or equivalent provided that for candidates applying for post of Programme Executive (Music) the minimum qualification shall be matric pass from a recognised School/Board/University or equivalent. (ii) Diploma from the National School of Drama or any other recognised Institution in the field of drama; or Diploma in Music from a recognised Institution; Or A minimum of 'B' High Grading by All India Radio for broadcasting as vocalist or instrumentalist; Or A Diploma in Journalism from a recognised University or a recognised Institution; Or Not less than 5 years continuous employment in production and/or programming in a broadcastingorganisation; Or Research publication on folk of tribal music; or proficiency in composing light music with evidence of such music having been accepted by film or broadcasting organisation or gramophone company. Note 1 : In respect of tribal dialects, if sufficient candidates with prescribed qualifictions are not available, graduate or equivalent qualification may be relaxed at the discretion of Union Public Service Commission. Note 2 : The exact educational and other qualification shall be specified according to requirement at the time of recruitment.	Age : No Educational Qualifications : No but must possess a bachelor's degree of equivalent diploma from a recognied University. Note : The above educational qualifications will not apply to persons in the feeder grade holding the post as such an regula basis on of before 8th May, 1991 provided they are at least matriculate or equivalent.

8

Note 3 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 4 : The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes if at any stage of selection, Union Public Service is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be suitable to fill up the vacancies reserved for them.

Period of Probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfe to be made
10	11	12
2 years	(i) 40% by promotion failing which by direct recruitment. (ii 60% by direct recruitment.	Promotion : (1) Assistant Edito (Tribal Dialects), Assistant Edito (Scripts) Assistant Edito (Farm and Home), Assistant Editor (Educationa Broadcsting), Assistant Edito (School Broadcast), Assistant Edito (Family Welfare) and Scripts Writer in the Pay Scale of Rs.1640-2900 with 3 years regular service in the grade and (2) Transmission Executive including categories of erstwhile Staff Artists designated as Transmission Executive in the pay scale of Rs.1400-2600 with 8 years regular service in the grade. Note : The eligibility list fo promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers, of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Composition of Departmental Promotion Committee for Promotion and Confirmation (i) Senior most Deputy Director General, All India Radio —Chairman (ii) Deputy Director General (Administration)/Director (A&F), All India Radio. —Member (iii) Deputy Director General, Doordarshan —Member (iv) Director (AIR)/Deputy Secretary, Ministry of Information and Broadcasting. —Member Note : The proceedings of the DPC relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commission fo approval. If however, these are not approved by the Commission, fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission necessa y while making direct recruitment to the post.

[No. 12019/7/89-B(A)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

Note : *Principal rules published vide GSR No. 349, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 Extraordinary) Part II Section 2 Sub Section (1) subsequently the following amendments were notified :—

1. Notification No. 5(9)/58-B(A), dated 4-5-62, GSR No. 721 dated 26-5-62.
2. ,, No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-62, GSR No. 1412 dated 27-10-62.
3. ,, No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-62, GSR No. 1627 dated 1-12-62.
4. ,, No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-63, GSR No. 123 dated 8-1-63.
5. ,, No. 13/55/61-B(A), dated 8-7-63, GSR No. 1225 dated 20-7 63.
6. ,, No. 5/43/62-B(A), dated 10-8-63, GSR No. 1319 dated 10-8-63.

7.	,,	No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-64, GSR No. 1310 dated 12-9-64.
8	,,	No. 11/3/63-B(A), dated 15-10-64, GSR No. 1564 dated 31-10-64.
9	,,	No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-65, GSR No. 705 dated 8-5-65.
10.	,,	No. 5/45/65-B(A), dated November, 1965
11.	,,	No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-65, GSR No. 58 dated 8-1-66.
12.	,,	No. 11/3/65-B(A), dated 1-11-66, GSR No. 1782 dated 26-11-66.
13.	,,	No. 11/4/65-B(A), dated 24-12-66, GSR No. 1973 dated 29-12-66.
14.	,,	No. 7/1/67-B(A), dated December, 1967.
15.	,,	No. 20/6/67-B(A), dated 23-3-68, GSR No. 541 dated 23-3-68.
16.	,,	No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-68, GSR No. 910 dated 30-4-68.
17.	,,	No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-69, GSR Nos. 1761 and 1821.
18.	,,	No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69, GSR No. 1682.
19.	,,	No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-70, GSR No. 173 dated 31-1-70.
20	,,	No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-70, GSR No. 204 dated 7-2-70.
21.	,,	No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-70 GSR No. 723 dated 2-5-70.
22.	,,	No. 7/2/68-B(A), dated 24-4-70, GSR No. 1161 dated 15-8-70.
23.	,,	No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-70.
24.	,,	No. 11/9/69-B(A), dated 21-2-72, GSR No. 367 dated 2-3-72.
25.	,,	No. 1/9/78-B(A), dated 8-7-72.
26.	,,	No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-73, GSR No. 228 dated 3-3-73.
27	,,	No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-73, GSR No. 476 datd 5-5-73.
28	,,	No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-74, GSR No. 256 dated 9-3-74.
29.	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-75,
30	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-75, GSR No. 894 dated 19-7-75.
31.	,,	No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-75, GSR No. 801 dated 28-6-75.
32.	,,	No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-76, GSR No. 677 dated 15-5-76.
33	,,	No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-76, GSR No. 1671 dated 27-11-76.
34	,,	No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-78, GSR No. 95 dated 20-1-79.
35.	,,	No. 1218/4/77-B(A), dated 4-9-80, GSR No. 1118 dated 25-10-80.
36.	,,	No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-80, GSR No. 44 dated 10-1-81.
37	,,	No. 12019/1/80-B(A), dated 20-10-81, GSR No. 1002 dated 7-11-81.
38.	,,	No. 12018/4/77-B(A), dated 15-1-82, GSR No. 137 dated 6-2-82.
39.	,,	No. 45011/83/82-B(A), dated 23-10-84, GSR No. 740(E1)
40.	,,	No. 12019/6/83-B(A), dated 28-6-85.
41.	,,	No. 45011/83/82-B(A), Vol. IV (II), dated 8-5-87.
42.	,,	No. 1/19/86-SII/AIR/B(A), dated 25-10-87.
43.	,,	No. 8/45/87-S.II/AIR/B(A), dated 4-4-88.
44	,,	No. 7/6/87-AR/B(A), dated 12-4-88.
45.	,,	No. 14/18/86-S.II/B(A), dated 25-5-88.
46.	,,	No. 12019/2/87-B(A), dated 26-5-88.
47	,,	No. 7/5/87-AR/B(A), dated 13-6-88.
48	,,	No. 8/48/87-S.II/SI(B)/B(A), dated 31-5-90.
49.	,,	No. 12019/5/89-B(A) dated 15-10-90.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1992

सा. का. नि. 170.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उप धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्थापनों को जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं ऐसे स्थापनों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन पर उक्त अधिनियम 1-4-1992 से लागू होगा, अर्थात्:—

(i) ग्वार गोंद कारखाना;

(ii) मार्बल खानें; और

(iii) हीरा आरा मशीन।

[संख्या एस—35011/7/90/एस. एस. II]

जे. पी. शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 25th March, 1992

G.S.R. 170.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies the following establishments in which twenty or more persons are employed, as the classes of establishments to which the said Act shall apply with effect from the 1st day of April, 1992, namely :—

(i) Guar Gum factories ;

(ii) Marble mines ; and

(iii) Diamond Saw Mills.

[File No. S-35011/7/90-SS. II]

J. P. SHUKLA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992